संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक 3806 /टीसी/ 60 /उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक:- 2/7 /06/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला भोपाल (म.प्र.)।
2. **संयुक्त संचालक,**
   नगर तथा ग्राम निवेश,
   जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत,
   जिला भोपाल (म.प्र.)।
4. **आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम,
   जिला भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत (ग्राम- चूनाभट्टी खसरा क्रमांक 94/2)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक 3807 /टीसी/ 60 /उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक: 2/7/ /06/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

AD (TC) ... SE (S/Tek) ADTO (S) 01/07/19

कृपया आई. टी. कक्ष से संबंधित है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक 27/06/2019

क्रमांक 3808 /टीसी/ 60 /उपां/नग्रानि/2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक,नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	चूनाभट्टी	94/2	1.214 मे से 1858.74 वर्ग मीटर	आमोद-प्रमोद (वनस्पति उद्यान) , एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग (पुलिस थाना भवन)
		योग:-	1858.74 वर्ग मीटर		

शर्तें–

1 *"आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत प्रभावित भूमि के दोगुने क्षेत्रफल की भूमि, उक्त उपयोग हेतु आरक्षित करना होगा तथा उसके विकास हेतु स्थानीय निकाय के पक्ष में बजट हेतु प्रावधान करना आवश्यक होगा । "*

2 *प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम में स्थित कोलार मार्ग की चौडाई 45 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग के मध्य से 22.50 – 22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगी।*

3 *नहर के मध्य से 30.00 मीटर भूमि खुले क्षैत्र के रूप में सुरक्षित रखना आवश्यक होगी।*

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल